P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री हाफिज मोहम्मद खान, प्रधानाचार्य शहीद जाकिर अली राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गिडानिया जिला झुन्झूनूं का स्थानान्तरण राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बलाया, मुण्डवा जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री हाफिज मोहम्मद द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4065/2018 हाफिज मोहम्मद खान बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2018 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर दिनांक 26.11.2018 तक एक अभ्यावेदन पेश करने और पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 04.12.2018 तक एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned speaking order) प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने माता–पिता के वृद्ध होने, पिता के लकवाग्रस्त होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन अपने गृह जिले झुन्झुनु में राउमावि नुआ, अथवा राउमावि गुढा गौड़जी या राउमावि खेतडी जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया था। याचिकार्थी प्रधानाचार्य एवं समकक्ष स्तर का पद धारित है, जो कि राज्य सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाएं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी श्री हाफिज मोहम्मद खान, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एस.बी.सिविल/4065/हाफिज/2018 दिनांक: 28.11.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चुरू/अजमेर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झुन्झुनूं/नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, झुन्झुनूं/नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)